

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

①

राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 12595.23 लाख (एक अरब पचीस करोड़ पंचानवे लाख तेईस हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रगतिशील कृषक को प्रसार तंत्र के साथ मिलकर काम करने हेतु प्रेरित करना है। इसके तहत किसान सलाहकार को प्रतिमाह 13000/-रुपये नियत मानदेय एवं इसपर 13 प्रतिशत की दर से 1690/-रुपये प्रति माह EPF के लाभ सहित प्रतिमाह 14690/-रुपये भुगतान किया जाना है।

कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसान सलाहकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत कृषि कार्यालय में भी इनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। किसान सलाहकार के द्वारा कृषि प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

han

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

2

बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा "जल-जीवन-हरियाली अभियान" का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस क्रम में जल-जीवन-हरियाली अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके क्रियान्वयन पर होने वाले अनुमानित व्यय कुल 24511.55 करोड़ (दो सौ पैंतालीस अरब ग्यारह करोड़ पचपन लाख) रुपये की स्वीकृति तथा विस्तारित अवधि में इसके प्रशासनिक मद पर होनेवाले अनुमानित व्यय कुल 103.69 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गयी है।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना

28/4/25

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

3

प्रेस नोट

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों एवं परिसर के साफ-सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त पर राशि 33,84,80,448/- (तैंतीस करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तालिस रुपये मात्र) प्रतिवर्ष व्यय होगा। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इसके बाद के वर्षों में भी किया जाएगा।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

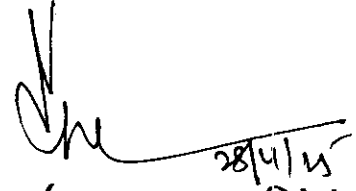
25/4/2025

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

④

प्रेस-नोट

औरंगाबाद जिलान्तर्गत ग्राम दशवतखाप (784) एवं मदनपुर (785) को मिलाकर नगर पंचायत, मदनपुर का दर्जा प्रदान करने के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किए वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ वहाँ के नागरिकों को मिल सकेगा एवं शहरी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। इससे राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी।



(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

5

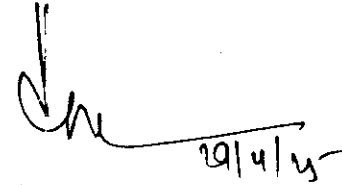
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत दरभंगा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 186,15,52,100/- (एक सौ छियासी करोड़ पंद्रह लाख बावन हजार एक सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

दरभंगा जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

दरभंगा जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत 24183 गृह जल संयोजन हेतु 16 ट्यूबवेल, 16 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 6 जलमीनार, 6 जलमीनार कैम्पस, 20.30 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 211.00 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।


19/4/25

(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

Anand

(6)

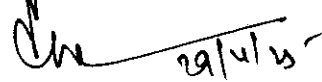
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बक्सर सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रु० 2,55,88,35,000/- (दो सौ पचपन करोड़ अठ्ठासी लाख पैंतीस हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बक्सर सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

बक्सर सिवरेज नेटवर्क परियोजना में 28 वार्डों के 14750 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 112 कि०मी० सिवरेज नेटवर्क, 2 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 1.075 कि०मी० राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे मोतिहारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क सुविधा प्राप्त होगी।



(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।

Anil

7

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत औरंगाबाद जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 72,44,65,400 /- (बहत्तर करोड़ चौवालीस लाख पैंसठ हजार चार सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औरंगाबाद जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

औरंगाबाद जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत 135.100 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क द्वारा 11425 गृह जल संयोजन का कार्य किया जायेगा, जिससे औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।



(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



(8)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

॥ प्रेस नोट ॥

सोनपुर आयोजना क्षेत्र का भू-भाग पटना के पास रहने एवं बेहतर सड़क सम्पर्क के कारण तेजी से विकसित होने की संभावना तथा आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत कई राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय परियोजना आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए "सोनपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी।


(अभय कुमार सिंह)

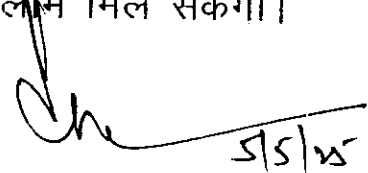
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

9

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस-नोट

सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, सोनपुर, पटना के समीप स्थित होने तथा पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के आधार पर नगर परिषद में उत्कर्मित करने के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का अत्याधिक लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में पटना शहर के साथ-साथ प्रस्तावित नगर परिषद, सोनपुर में पर्यटन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं का अत्याधिक लाभ मिल सकेगा।



(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(10)

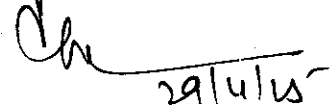
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 148,08,37,500/— (एक सौ अड़तालीस करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बोधगया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

बोधगया जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत 11007 गृह जल संयोजन हेतु 8 ट्यूबवेल, 8 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 1 किलयर वाटर रिजर्वायर, 5 जलमीनार, 5 जलमीनार कैम्पस, 1 किलयर वाटर रिजर्वायर कैम्पस, 17.26 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 207.85 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।



(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

Anand

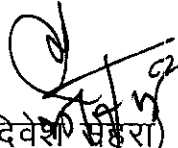
28
11

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इस हेतु राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। पंचायत सरकार भवन में पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठक के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया जाय। पूर्व में राज्य की कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अबतक 6984 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

वर्तमान में कुल 1069 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 151 + सामान्य क्षेत्रों की 918) ग्राम पंचायतों में नये पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कुल ₹27,57,67,32,422.00 (सत्ताईस अरब सत्तावन करोड़ सड़सठ लाख बत्तीस हजार चार सौ बाईस रुपये) मात्र की राशि से करने संबंधी प्रस्ताव एवं इन 1069 पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (SWDMP) के निर्माण पर भी कुल ₹27,25,95,000.00 (सत्ताईस करोड़ पच्चीस लाख पंचानवे हजार रुपये) मात्र की राशि का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(दिवेश मिश्रा)
सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12

प्रेस नोट

सहरसा जिलान्तर्गत अंचल-सत्तरकटैया के मौजा- सत्तर, थाना सं०-173 के खाता सं०-754 के विभिन्न खेसरा में कुल प्रस्तावित रकबा-21.27 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

13

औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल-औरंगाबाद के मौजा-रामडीहा एवं गंगटी के क्रमशः थाना सं०- 567 एवं 568 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-3.96 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग की अर्जित भूमि केन्द्रीय विद्यालय, औरंगाबाद के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सिवान जिलान्तर्गत अंचल-जिरादेई के मौजा-भौसाखाल, थाना सं०-154, खाता सं०-840, खेसरा सं०-2654, रकबा-05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म-परती कदीम भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत अंचल-छपरा सदर के मौजा-दहियांवा, थाना सं०-284 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-5.00 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय, छपरा के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल-गोह के मौजा-देवकुण्ड, थाना सं०-229, खाता सं०-91, खेसरा सं०-390, रकबा-04 एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म-परती भूमि केन्द्रीय विद्यालय, देवकुण्ड के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

17

बक्सर जिलान्तर्गत अंचल-बक्सर के मौजा-बक्सर किला, थाना सं०-332, खाता सं०-292 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-3.81 एकड़ किस्म-धनहर-I सिंचाई विभाग, बिहार, पटना की भूमि केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18

प्रेस नोट

शिवहर जिलान्तर्गत अंचल-पिपराही के मौजा क्रमशः बेलवा नरकटिया निजामत एवं बेलवा नरकटिया बंदोबस्ती, थाना सं०-125 एवं 126 के विभिन्न खाता एवं खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा-8.0575 एकड़ बिहार सरकार की भूमि पर बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-4(ए) के तहत निर्माणाधीन हेड रेगुलेटर एवं तटबंध निर्माण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

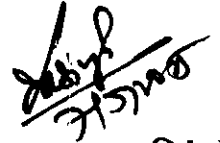
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19

प्रेस नोट

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल-मुशहरी के मौजा-कन्हौली बिशुनदत्त, थाना सं०-411, खाता सं०-1010 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा-32.68 एकड़ भूमि खतियानी रैयत बिहार सरकार के विभिन्न किस्म की भूमि पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-06 केन्द्र के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-



नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल-झंझारपुर के मौजा-नरुआर, थाना सं०-159 के खाता सं०-1284 एवं 1285 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-16.32 एकड़ अनावाद बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि जैव विविधता पार्क/पारिस्थितिकी पार्क निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

प्रेस नोट

वित्त विभाग

21

पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।



(आनन्द किशोर)

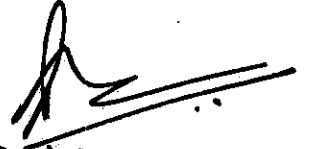
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

वित्त विभाग

22

षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक— 01.01.2025 के प्रभाव से 246% के स्थान पर 252% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।



(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

वित्त विभाग

23

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।



(आनन्द किशोर)

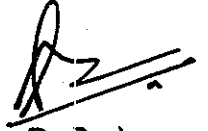
प्रधान सचिव।

विभाग का नाम:- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(24)

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा 54,213.77 करोड़ रुपये (चौवन हजार दो सौ तेरह करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) बाजार ऋण सहित कुल 58,193.52 करोड़ रुपये (अन्ठावन हजार एक सौ तिरानवे करोड़ बावन लाख रुपये) के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गयी है ।



(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

25

प्रेस नोट

वित्त विभाग, बिहार, पटना में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत स्वीकृत कुल-43 पदों को विभिन्न कोटियों में कर्णांकित किये जाने के उपरान्त सीधी भर्ती हेतु कुल-13 पद उपलब्ध है। कर्णांकण पूर्व प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु कुल-31 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है। सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निमित्त एकबारगी उपाय (One Time Measure) के रूप में वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत मूल कोटि के पद यथा, वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक (Supernumerary) पदों के अस्थायी रूप से सृजन का निर्णय लिया गया है।



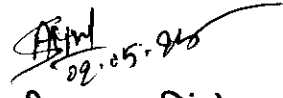
(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित
प्रेस नोट।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजलीय भवनों यथा प्रशासनिक एवं आईटी भवन, ऑडिटोरियम एवं ADR भवन, मल्टी लेबल कार पार्किंग भवन, टाईप 'बी' आवासीय भवन, टाईप 'सी' एवं 'डी' आवासीय भवन, हाई साइड सर्विस भवन के निर्माण कार्य हेतु रु०-302,56,00,000/- (तीन सौ दो करोड़ छप्पन लाख रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय राज्य स्कीम अन्तर्गत संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा।


(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

(27)

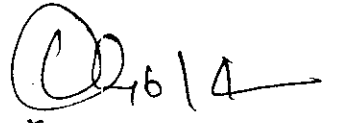
बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1239 दिनांक 13.04.2018 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप विभागीय कार्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि तथा विभागीय कार्य दायित्वों में समय के साथ-साथ आए परिवर्तन एवं उत्तरोत्तर हुई वृद्धि के आलोक में सहकारिता विभागीय लिपिक संवर्ग के वर्तमान स्वीकृत 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैंतीस) पदों का सृजन किया गया।

उक्त के फलस्वरूप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। साथ ही, रोजगार सृजन भी होगा।

Dr. S.


(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

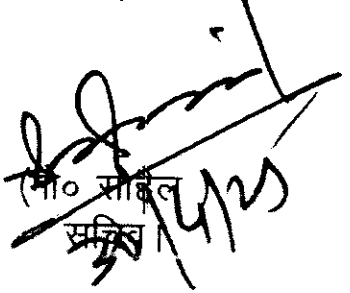
28

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार अधिनियम-15/2003 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने का निर्णय लिया गया है।

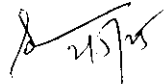

(मो० सोहेल
सचिव)

29

संघिका संख्या- 3/एम.-06/2018

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेस नोट

नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के
सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन हेतु कुल 125 नये पदों का
सृजन किया जायेगा।


(गुफुरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

(30)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में संशोधन करने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में अधिसूचित नियमावली के नियम-7 (2) एवं (3) में आवश्यक संशोधन किया गया है।


सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
✓ ११/११/२५

प्रेस नोट

131

विभाग का नाम :-स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या :-12/प0क0-09-01/2025

राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी का गठन।

राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण सहित कैंसर की रोकथाम तथा स्क्रीनिंग के फलस्वरूप निरन्तर चिन्हित हो रहे मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है।


(शम्भू शरण) 5.12.25

अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

5/12/25

सं0सं0-16/ए.2-12/2013

32

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सिविल अपील संख्या-4643-4646/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.11.2007 को पारित न्यायादेश के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों एवं आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित क्रमशः विज्ञापन संख्या-04/2020 एवं 05/2020 के अंतर्गत कुल 47 GAMS (GRADUATE IN AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को सशर्त मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्त करने के संबंध में।


14.5.25
(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव


प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

33

सं०सं०-९/आ०-०४-०९/२०२३

डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को दिनांक-10.09.2021 से 30.06.2023 तक एवं दिनांक-30.09.2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-544(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-979(9) दिनांक-15.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। विभागीय पत्रांक-1580(9) दिनांक-30.10.2023 द्वारा सिविल सर्जन, मुंगेर से डॉ० सिंह का अद्यतन सूचना की माँग की गयी। सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक-63 दिनांक-08.01.2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि डा० सिंह दिनांक-10.09.2021 से 30.06.2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। विभागीय पत्रांक-1157(2) दिनांक-28.06.2023 के आलोक में डा० सिंह द्वारा दिनांक-01.07.2023 को कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर में योगदान देकर प्रभार ग्रहण किया गया। पुनः दिनांक-30.09.2023 से बिना सूचना के अबतक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ० सिंह कार्य करने के इच्छुक नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा० सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3693 दिनांक-31.12.2024 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को दिनांक-10.09.2021 से 30.06.2023 तक एवं दिनांक-30.09.2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(शैलेश कुमार)
विभागीय सचिव

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

34

सं0सं0-9/आ0-04-16/2023

डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक-06.08.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-539(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-1079(9) दिनांक-03.10.2023 एवं पत्रांक-190(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अत्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-5080 दिनांक-21.03.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक-06.08.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

शैलेश कुमार
विशेष सचिव

35

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0-9/आ0-04-24/2023

डा0 अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को दिनांक-23.03.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-524(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-1057(9) दिनांक-26.09.2023 एवं पत्रांक-208(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 सोरेन को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-15 दिनांक-01.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को दिनांक-23.03.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

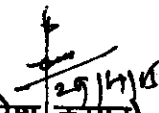
प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0-9/आ0-04-46/2023

डा0 सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को दिनांक-09.02.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-533(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-1107(9) दिनांक-05.10.2023 एवं पत्रांक-196(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्ता रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 गुप्ता को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4827 दिनांक-06.03.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को दिनांक-09.02.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।


(शैलेश कुमार)सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव

प्रेस नोट
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0-9/आ0-04-53/2023

डा0 विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को दिनांक-16.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-552(9) दिनांक-17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-1108(9) दिनांक-06.10.2023 एवं पत्रांक-206(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-5079 दिनांक-21.03.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को दिनांक-16.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने पर स्वीकृति के संबंध में।

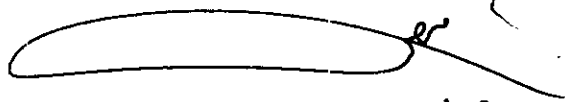

(डा० अमीर आफाक अहमद फज्जी)
विशेष सचिव-सह-निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

(39)

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल-गोराडीह, मौजा-अजीजपुर पिथना में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5632.60 लाख (छप्पन करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

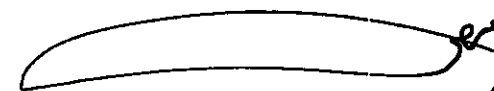

(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी) 14/5-
विशेष सचिव-सह-निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

५०

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत अररिया जिलान्तर्गत अंचल-अररिया में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5697.46 लाख (छप्पन करोड़ सन्तानवे लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

 14/5/25

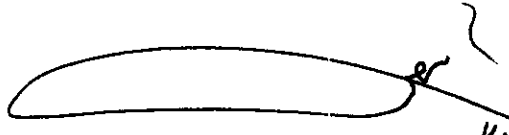
(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव-सह-निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

41

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल-मांझा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5600.74 लाख (छप्पन करोड़ चौहत्तर हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

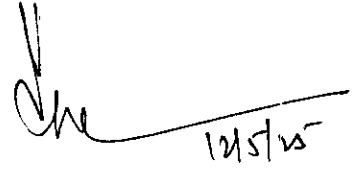

(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी) 14/5/24
विशेष सचिव-सह-निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(42)

॥ प्रेस नोट ॥

विषय:— आत्म निर्भर बिहार की सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रु०) मात्र की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।


12/5/15

(अभय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

43

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा—मोहरमपुर, थाना सं०—137 के वार्ड/सीट सं०—1/21, म्यु प्लॉट सं०—54 में कुल प्रस्तावित रकबा—0.0542 एकड़ एल०आई०सी० के स्वामित्व की भूमि पर पटना मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०—2,56,09,500/— (दो करोड़ छप्पन लाख नौ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—

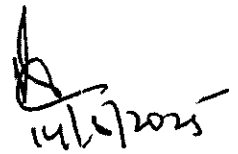
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :— अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों में स्वीकृत 45 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र ₹12.00 लाख (बारह लाख रुपये) की दर से केन्द्रांश (100%) ₹5,40,00,000 /—(पाँच करोड़ चालीस लाख रुपये) तथा उक्त योजना अंतर्गत 45 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु निमित्त अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹2,46,86,190 /—(दो करोड़ छियालिस लाख छियासी हजार एक सौ नब्बे रुपये) जिसमें केन्द्रांश ₹1,01,00,700 /—(एक करोड़ एक लाख सात सौ रुपये), राज्यांश ₹86,23,800 /— (छियासी लाख तेईस हजार आठ सौ रुपये) एवं राज्य योजना ₹59,61,690 /— (उनसठ लाख इकसठ हजार छः सौ नब्बे रुपये) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।


14/5/2025

सचिव,
समाज कल्याण विभाग

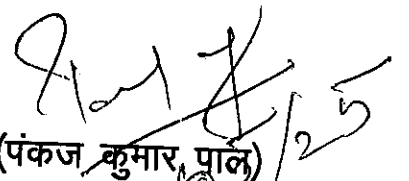
बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

(45)

प्रेस नोट

राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा-नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 104 अद्द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 945.91 करोड़ (नौ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यानवे लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 630.61 करोड़ (छः सौ तीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कंपनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा-नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 104 अद्द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 945.91 करोड़ (नौ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यानवे लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 630.61 करोड़ (छः सौ तीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कंपनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

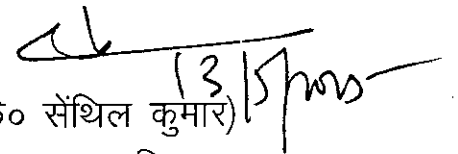

(पंकज कुमार, पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

प्रेस नोट

योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (5) तथा धारा 10 की उपधारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)/अधिसूचक से संबंधित अधिसूचना संख्या-232 दिनांक-24.02.2023 में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

इस संशोधन के फलस्वरूप पंचायत सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) होंगें, जिससे जन्म-मृत्यु से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर होगी।


(के० सेंथिल कुमार)

प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार में गया जिलान्तर्गत बोधगया एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है तथा निरंतर पर्यटकों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। आने वाले पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केन्द्र का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं व्यापार की संभावनाएं भी सृजित होगी।

मंत्रिपरिषद् द्वारा पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अन्तर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केन्द्र, बोधगया के निर्माण हेतु 1,65,44,30,000/- (एक सौ पैसठ करोड़ चौवालिस लाख तीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

14/5/2025

प्रेस-नोट

(48) 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिपार्ड के पटना परिसर में प्रस्तावित नये भवन (ATI) के निर्माण कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित) के लिए कुल ₹1,26,05,33,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ पाँच लाख तेतीस हजार रुपये) मात्र के पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

Majumdar
14.5.2024
(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

प्रेस नोट

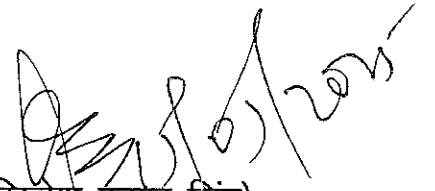
49

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अन्तर्गत उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों में भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" के गठन के संबंध में।

बिहार राज्य में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत उड्डयन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों हेतु उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय गठित है, निदेशालय में 'बिहार उड्डयन संस्थान' (जो पूर्व में बिहार फ्लाईंग क्लब नाम से जाना जाता था।) वर्ष 1940 से कार्यरत है और इसे वर्तमान में Flying Training Organisation (FTO) की मान्यता प्राप्त है, जहाँ प्रशिक्षुओं को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है।

बिहार उड्डयन संस्थान में सुगमता पूर्वक छात्रों का प्रशिक्षण संचालित किये जाने एवं बिहार उड्डयन संस्थान का सुदृढीकरण हेतु निदेशालय में सृजित पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित किये जाने हेतु नियमावली गठन किया गया है। इस नियमावली में निदेशालय में सृजित पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया, संवर्ग/उपसंवर्ग तथा पद की प्रकृति, योग्यता, उम्र-सीमा आदि का निर्धारण किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में "बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" का गठन किया गया है।


(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

प्रेस नोट

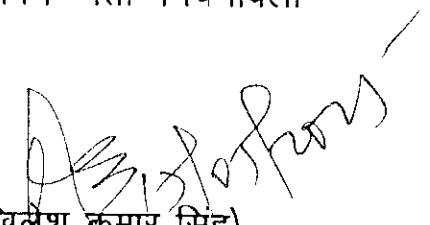
50

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अन्तर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" के गठन के संबंध में।

बिहार राज्य में राज्य के विशिष्ट/अतिविशिष्ट माहानुभावों के वायु गमनागमन तथा आपदा की स्थिति में वायु मार्ग से सहायता पहुंचाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत वायुयान संगठन निदेशालय गठित है। निदेशालय में राजकीय विमान एवं हेलिकाप्टर के उड़ान एवं संधारण हेतु पायलट एवं इंजीनियर आदि जैसे तकनीकी एवं अन्य गैर तकनीकी पदों का सृजन किया गया है।

निदेशालय के सुगमतापूर्वक संचालन एवं सुदृढीकरण हेतु निदेशालय में सृजित पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित किये जाने निमित्त नियमावली का गठन किया गया है। इस नियमावली में निदेशालय में सृजित पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया, संवर्ग/उपसंवर्ग तथा पद की प्रकृति, योग्यता, उम्र-सीमा आदि का निर्धारण किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में "बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" का गठन किया गया है।

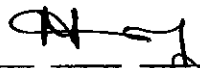

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

52

प्रेस नोट

बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्तर्गत निर्धारित नये पद संरचना के अनुरूप कार्यालयवार पदों का औचित्यपूर्ण पुनर्गठन आवश्यक था। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारु संचालन हेतु बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों को सुव्यवस्थित कर स्वीकृत बल के अधीन रहते हुए जिला, परिक्षेत्र, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र तथा निदेशालय के कार्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार पदों के कार्यालयवार चिन्हितीकरण की आवश्यकता को देखते हुए बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग के पदों का चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

 15/5/2025
अपर मुख्य सचिव

प्रेस नोट

53

पथ प्रमंडल शेरघाटी (गया) अंतर्गत अमृतसर- दिल्ली-कोलकाता कोरिडोर (ए0के0आई0सी0) परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (आई0एम0सी0), गया की स्थापना के क्रम में पुराने जी.टी.रोड (एन.एच-2) के डोभी मोड़ से चंदाग्राम होते हुए बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक 4-लेन पथ निर्माण हेतु 14280.19 लाख (एक सौ बेयालीस करोड़ अस्सी लाख उन्नीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित पथ प्रारंभ बिन्दु (एन.एच-2) के डोभी मोड़ एवं अंतिम बिन्दु इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्राधीन बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क है। इस पथ की कुल लंबाई 6.85 कि.मी. है। कैरिजवे की चौड़ाई 14मी. (4-लेन) का प्रावधान है। प्रस्तुत प्राक्कलन में जंक्शन इम्प्रुवमेंट कार्य, विभिन्न आकार के 18 अदद आर.सी.सी बॉक्स कल्भर्ट एवं 2 अदद उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल सहित विशिष्टियों के अनुसार रोड फर्निचर का भी प्रावधान किया गया है।

पथ परत में जी.एस.बी.-250एम.एमए डी.एल.सी-150एम.एम. एवं पी.क्यू.सी -280एम.एम. का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 18 माह प्रतिवेदित है। विषयांकित योजना में आवश्यकतानुसार भूअर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

54

**पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट**

पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत तेतरिया-नरहा-नरवारा चैनेज 0.00 से चैनेज 12.10 (कुल लंबाई 12.10 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹4522.90 लाख (रुपये पैतालिस करोड़ बाइस लाख नब्बे हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित एम.डी.आर. पथ की कुल लंबाई 12.10 कि०मी० है, जिसके वर्तमान कैरिज वे 3.75मी० को बढ़ाकर 5.5 मी० करने का प्रस्ताव है। यह पथ तेतरिया से प्रारंभ होकर मोहम्मदपुर, सागर, नन्हकार होते हुए नरवारा चौक तक जाती है। इस योजना में भु-अर्जन की आवश्यकता नहीं है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से शिवहर एवं मोतिहारी आने जाने में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

✓ ✓ ✓

55

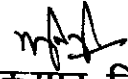
पथ निर्माण विभाग प्रेस नोट

पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत आँसी-जीरो माईल से कमतौल कोठी भाया विस्फी विद्यापती जन्म स्थली पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6667.64 लाख (रुपये छियासठ करोड़ सड़सठ लाख चौसठ हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित योजना पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत आँसी-जीरो माईल से प्रारंभ होकर नजाम चौक, खैरी गांव, सुकान गांव, ककरहा गांव, मिलात चौक, विस्फी, कोकला चौक, बलुहा गांव होते हुए कमतौल कोठी तक जाती है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 15.55 कि०मी० है एवं इसके वर्तमान कैरेज वे 3.75/5.5 मी० लेन से बढ़ाकर 7.00 मी० करने के प्रावधान है, साथ ही एक अदद कल्भर्ट, चार अदद उच्चस्तरीय आर.सी.सी. ब्रीज एवं 2.54 कि०मी० लंबाई में नाला का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

✓ ✓ ✓

पथ निर्माण विभाग प्रेस नोट

पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत छोटकीपट्टी-बड़गँव से कदमहवा भाया बड़गँव-खैरपोखरा-बरवा-बैनाती पथ के चैनेज 0.00 से चैनेज 25.850 कि०मी० (कुल लंबाई 25.85 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹5867.20 लाख (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित पथ की कुल लंबाई 25.85 कि०मी० है। पथ के वर्तमान कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मी० से बढ़ाकर 5.5 मीटर (इंटरमीडिएट लेन) करने का प्रावधान किया गया है। विषयांकित एम०डी०आर० पथ छोटकीपट्टी-बड़गँव से प्रारंभ होकर खैरपोखरा - बरवा-बैनाती होते हुए कदमहवा तक जाती है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में विभिन्न आकार के छः आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट एवं तीन अदद ह्यूम पाईप कल्वर्ट के साथ-साथ दो अदद 3 X 12 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से छोटकीपट्टी-बड़गँव से कदमहवा आने जाने में आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

HA ✓

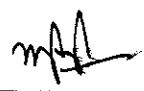
57

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत चकिया मधुरापुर चैनेज 0.00 से चैनेज 12.950 (कुल लंबाई 12.950 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹5092.85 लाख (रुपये पचास करोड़ बेरान्वें लाख पच्चासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 12.950 कि०मी० है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य करने का प्रस्ताव है। यह पथ सुभाषचौक-एन.एच. 27 से प्रारंभ होकर गांधी मैदान बर्मडीया गांव होते हुए मधुरापुर गांव तक जाती है। पथ के वर्तमान पथ परत की चौड़ाई 3/3.5/3.75/5.5/7मी० से बढ़ाकर 2×5.5/7.0मी० किया जाना है। उक्त पथ में एक अदद 1/22/0 आकार के बॉक्स कल्भर्ट का भी प्रावधान है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

* ✓ R

(58)

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹14,94,12,903/— (चौदह करोड़ चौरानवे लाख बारह हजार नौ सौ तीन रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु जनजातीय शोध संस्थान के माध्यम से शोध एवं मूल्यांकन कार्य के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन/आकलन तथा भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समन्वय सुगमता से करने हेतु जनजातीय शोध संस्थान की अहम भूमिका होगी।

राज्य के अनुसूचित जनजाति के रीति-रिवाज, भाषा, संस्कृति, कला एवं विविध समस्याओं पर अनुसंधान एवं अभिलेख के कार्य से अनुसूचित जनजाति समुदाय लाभान्वित होंगे।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

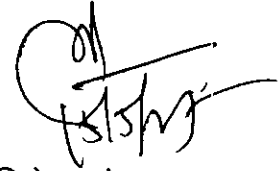
(59)

2/52

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं० सं०-3/निदे०आ०वि०(निर्माण)153-03/2024-
प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार डॉ० भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय, प्रखंड-इमामगंज, गया (720 आसन), सदर आरा, भोजपुर तथा रोसडा, समस्तीपुर (480 आसन) के भवनों का पुनर्निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन क्रमशः ₹62,62,94,000/-, ₹42,16,77,000/- एवं ₹41,28,90,000/- की दर से कुल ₹146,08,61,000/- (एक सौ छियालीस करोड़ आठ लाख एकसठ हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।



(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

2/50 60

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
संचिका संख्या-3/निदे0(आ0वि0)99-21/2023-

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल पुरनहिया, जिला-शिवहर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹58,05,08,000/- (अट्ठावन करोड़ पाँच लाख आठ हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

2/50 61

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
संचिका संख्या-3/निदे0(आ0वि0)110-26/2019-

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार 720 आसन वाले 6 (छः) डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, फतेहपुर, डुमरिया, आमस (गया), जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण) तथा उचकागाँव (गोपालगंज) के भवनों का पुनर्निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन ₹65,80,11,000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल (₹65,80,11,000 x 06)= ₹394,80,66,000/- (तीन सौ चौरान्चे करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

62

प्रेस-नोट

विश्व बैंक सम्पोषित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना जिसकी अनुमानित लागत राशि रु 4415.00 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत अर्थात् रु 1324.50 करोड़ बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना है एवं 70 प्रतिशत अर्थात् रु 3090.50 करोड़ का विश्व बैंक से ऋण लिया जाना है ।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता निर्माण द्वारा प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं विकास तथा कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना, प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन द्वारा आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में किये जाने वाली तैयारी और प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करना, परिणामी आर्थिक, सामाजिक कल्याण की अधिकतम करने हेतु हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है ।

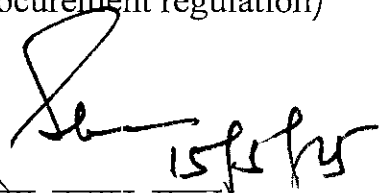
यह एक व्यापक पहल है, जिसमें आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण, हितधारकों का क्षमता निर्माण, कुशल सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण एवं सूखा निवारण शामिल है ।

इस परियोजना के तहत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों को लाभ होगा जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे से प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा ।

बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित करने, अधिक जल प्रवाह की क्षमता को सहन करने के लिए बाँधों को अद्यतन तकनीक का प्रयोग कर सुदृढ करने तथा सूखाग्रस्त जिलों के लिए सिंचाई श्रोत की ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने की योजनाएँ शामिल है ।

इस परियोजना के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा । इस परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2025-2026 से प्रारंभ कर 7 वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

इस परियोजना हेतु प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति की राशि रु 4415.00 करोड़ (चार हजार चार सौ पन्द्रह करोड़ मात्र) है तथा परियोजना अधीन वस्तुओं, कार्यों एवं सेवाओं इत्यादि की अधिप्राप्ति बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के इत्तर विश्व बैंक के अधिप्राप्ति विनियम (Procurement regulation) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।


(संतोष कुमार मल्ल)

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग ।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

64

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संकर धान के माध्यम से धान की उत्पादन में वृद्धि के कार्यान्वयन हेतु कुल 4500.00 लाख (पैंतालीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में संकर धान के माध्यम से धान की उत्पादन में वृद्धि लाना है ताकि राज्य/बाजार की मांग के अनुसार धान उपलब्ध हो सके। धान की अधिक उत्पादकता से किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगी जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी एवं वह खुशहाल होंगे।

4/16/25
(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड", पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ एवं निबंधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (जीविका निधि) के गठन से इससे जुड़े सदस्यों को कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध होगी एवं बैंक के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ऋण में विलम्ब को भी दूर किया जा सकेगा । इस संस्थान के गठन से वैकल्पिक वित्तीय श्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी । साथ ही सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता में काफी कमी आयगी । आवश्यकतानुसार ऋण उत्पाद विकसित किये जा सकेंगे एवं बड़ी राशि वाले ऋण की मांग की पूर्ति भी ससमय संभव हो सकेगी । साथ ही समय पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता एवं सामुदायिक निधि के वैश्वासिक जोखिम (fiduciary risk) से बचाने में सहायता प्राप्त होगी ।

(लोकेश कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

15/5/2023

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

65

प्रेस नोट

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक कुल दो वर्षों के लिए टिशू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 3199.00 लाख (इकतीस करोड़ निन्यानवे लाख) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केला की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (टिशू कल्चर) की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए केला के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना है।

हे।ब।
(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

66

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लम्बाई के 85 पुलों का इंडिपेन्डेन्ट थर्ड पार्टी ब्रीज सेफ्टी ऑडिट करने हेतु, नामांकन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को चयनित करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में ₹1661.08571 लाख (सोलह करोड़ इकसठ लाख आठ हजार पाँच सौ इकहत्तर) व्यय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पुलों के निर्माण के पश्चात् पुलों का संधारण नियमित रूप से नहीं होने के कारण निरूपित लाईफ स्पेन से पहले ही पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। निर्मित पुल संरचनाओं के निरूपित लाईफ स्पेन में पूर्ण उपयोगिता हेतु स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना आवश्यक है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के द्वारा विभिन्न पुलों के त्रुटियों की पहचान कर उनकी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा एवं इन सभी पुलों का रखरखाव नियमित रूप से मेंटेनेन्स पॉलिसी के तहत कराया जाएगा। पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लम्बाई के 85 पुलों का थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया जाना प्रस्तावित है। पथ निर्माण विभाग के पथों पर 3968 पुल अवस्थित है, जिसमें वृहद् पुलों की संख्या 532 है।

विषयांकित कार्य का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना से प्राप्त न्यूनतम दर पर नामांकन के आधार पर विभक्त कर कराया जाएगा।

विषयांकित कार्य के पुरा होने से राज्य में निर्मित पुलों की पूर्ण उपयोगिता प्राप्त होगी, जिससे आमजनों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।





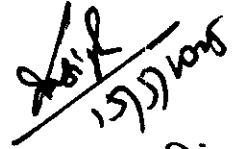
67

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मानसी, खगड़िया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय— आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (IX) के तहत "अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ ही अवैध रूप से की गई वेतन निकासी की वसूली एवं निलंबन अवधि में उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड अधिरोपित" किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-


15/7/2005

नाम :- दीपक कुमार सिंह,

पदनाम :-अपर मुख्य सचिव।

(68)

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

प्रेस नोट

"ऑपरेशन सिन्दूर" में सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये देने की स्वीकृत प्रदान की गई।

(प्रणव कुमार)
सचिव
गृह विभाग

16/5/20

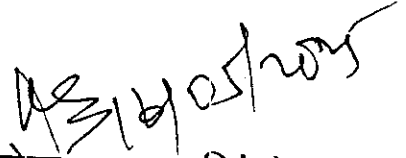
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

69

प्रेस नोट

स्व० सुशील मोदी का जन्म 05 जनवरी, 1952 में हुआ था। छात्र-जीवन से ही राजनीति में आये स्व० मोदी, समाज के निर्बल, निःसहाय एवं महिलाओं के अधिकारों के उत्थान एवं विकास के प्रति समर्पित थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री तथा राज्यसभा के आसीन सदस्य स्व० सुशील मोदी का निधन दिनांक 13 मई, 2024 को हुआ। राज्य के विकास एवं सामाजिक कार्यों इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्व० सुशील मोदी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य की जन्मतिथि प्रत्येक वर्ष 05 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।


(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

70

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-: प्रेस नोट :-

पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मद्देनजर "गया" शहर का नाम "गया जी" किया गया है।

हस्ताक्षर:

नाम:-

मो० सीहैल

पदनाम:-

सरकार के सचिव

(उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)